Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 1 | May 2024 - October 2024 | pp. 47-51

भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां एवं सामाजिक न्याय

रेणु कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों जाति व वर्ग को विश्व स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। इस सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों का उद्देश्य समाज की कृत्रिम असमानता को दूर कर समाज के सभी समुदायों को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है। सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों का वैज्ञानिक निष्पक्ष मूल्यांकन सही आँकड़ों की मदद से किया जाता है ताकि इस सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वियन हो सके। समाज व समुदायों में उनकी योग्यता व उनकी वरीयता के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है अगर यह सन्तुलन नहीं होगा तो समाज व समुदायों की प्रगति और संसाधनों का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि सकारात्मक कार्यवाही में समाज व समुदायों की प्रगति और संसाधनों का विकास ही पुनर्वितरण को संभव बनाता है। इनकी प्रगति और संसाधनों के विकास को संभव बनाने के लिए समाज व समुदायों में सकल योग्यता व उनकी वरियता को बढ़ाने पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है ना की उसके पुनर्वितरण पर। भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों एवं सामाजिक न्याय के तहत जाति व वर्ग का अध्ययन इसलिए महसूस किया गया है की समाज में जाति व वर्ग को लेकर मानव-मानव के मध्य सामाजिक न्याय को लेकर आपसी द्वेष देखा गया एवं उनमें होने वाले बदलावों को महसूस किया है क्योंकि ऐसी नीतियों का लाभ समाज के उच्च वर्ग के लोग अधिक प्राप्त कर रहें है। जिससे गरीब लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

संकेताक्षर—*सकारात्मक कार्यवाही, विपरित भेदभाव, आरक्षण, जाति, वर्ग, योग्यता, वरीयता*

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही से तात्पर्य राज्य द्वारा समाज के विशेष समुदायों के लिए बनाई गई ऐसी नीतियों से है जिनका उद्देश्य समाज में बने समुदायों को वरीयता या उनकी आवश्यक सहायता प्रदान कर समाज की मुख्य धारा के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास होता रहा है। सकारात्मक कार्यवाही का आधार समाज व समुदायों में सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास है।

भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान को सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों जाति व वर्ग को सामाजिक न्याय और परिवर्तनों को मान्यता देने वाले दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा राज्य से यह उम्मीद की गई है कि वह समाज व समुदायों में व्यक्तियों के बीच लिंग, नस्ल, जाति, भाषा क्षेत्र व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा इसके साथ ही साथ यह भी उम्मीद की गई है कि वह किन्हीं भी विशेष समुदायों के प्रति ऐसी वरीयतापूर्ण कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी नजर में समाज की मुख्य धारा से अलग है और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है। भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान में व्यक्तिगत और समूह अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही में समाज व प्रत्येक समुदायों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों जाति और वर्ग में सामाजिक

लाभों का वितरण व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए। यदि समाज व समुदायों में व्यक्ति विशेष के प्रति भेदभाव नहीं है। और सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में योग्यता ही सामाजिक वितरण का आधार बनी रहेगी। लेकिन समाज व समुदाय में कई ऐसी व्यक्तिगत अक्षमताएँ हो सकती हैं जिनके लिए समाज का या समुदाय का कोई अन्य व्यक्ति या समुदाय जिम्मेदार न हो।

यदि समाज व समुदाय में कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की किसी खास भाषा संबंधित अक्षमता हो सकती है, ऐसी स्थिति में उन्हें उनके लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे यह अक्षमता उनके अवसरों की समानता प्राप्त करने में बाधा न बन सकें। इन उपलब्ध साधनों के बाद उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि ही उनके लाभ प्राप्ति का आधार बने। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह होता है कि समाज व समुदाय में ऐसी अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों में किसी भी हीन भावना का विकास नहीं होता और समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा विकास नहीं होता और समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनके प्रति सम्मान में भी कोई कमी नहीं रहती। सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों जाति और वर्ग में सामाजिक वितरण का आधार सम्मान के वितरण को बनाए रखने के अर्थ में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस रूप में सकारात्मक कार्यवाही व्यापक रूप से मान्यता भी प्राप्त करती है। यहाँ राज्य व्यक्तिगत अक्षमताओं को दूर करने की बजाय राज्य समाज व समुदाय में व्यक्ति या समूह विशेषज्ञ के लिए लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसा करने से राज्य का कार्य न्यायपूर्ण होता है लेकिन यह व्यक्तिगत उन्नति के अवसरों पर बाधा बनता दिखाई देता है। इससे समाज व समुदाय में व्यक्ति व समूह को आत्मनिर्भर बनने की बजाय राज्य पर आश्रित बनाता है। और ऐसे राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये सुनिश्चित अवसरों से प्राप्त सफलता को कम सम्माननीय बनाता है। इस तरह से प्राप्त परिणामों की समानता की प्राप्ति के लिए राज्य के द्वारा किए गए प्रयास समाज व समुदायों में व्यक्तियों और समूहों के बीच विरोध को बढ़ावा और सामाजिक असंतोष को आमंत्रित करते है। भारतीय राजनीति में सकारात्मक नीतियों की प्रकृति दर क्षेत्र में अलग-अलग होते है।

भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों जाति व वर्ग में व्यक्तिगत या समुदाय विशेषिक अक्षमता कई बार परिस्थितिजन्य न होकर एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में सामने आती है, जिसका कारण किसी समूह विशेष के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक हो सकती है। विश्व में सबसे पहले सकारात्मक कार्यवाही को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय आधार पर काले गोरे लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इन्हें लंबे समय तक दास के रूप में जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखा गया।

भारत में भी समाज के समुदायों में भी काफी लम्बे समय से ही जाति व वर्ग के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता आया है। इस भेदभाव के कारण समाज व समुदायों में लोगों को अनेक समान अधिकारों व उनको उपलब्ध होने वाले संसाधनों से वंचित रहना पड़ा। इन समाज व समुदायों की पहचान अनुसूचित जाति के रूप में भारत में भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के रूप में ऐसे समुदायों की पहचान की गई जो पहले आदिम समाज के रूप में संगठित है जिन्होंने अपने आप को इस वर्तमान व आधुनिकता और वर्तमान समाज व समुदाय से अपने आप को दूर बनाए रखा हुआ है। आज भी इन समाज व समुदायों की संख्या बहुत अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों में आदिम समाज व समुदायों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के स्तर में भी काफी भिन्नता होती है। भारतीय समाज में अनुसूचित जाति को हिंदू वर्ण व्यवस्था में पदसोपान की श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया जिसके कारण उसे सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ा और दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति को इस वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित ही नहीं किया गया जिससे उसे बहिष्करण का सामना करना पड़ा।

भारतीय संविधान में सकारात्मक कार्यवाही के दौरान इन दोनों ही समुदायों की पहचान कर उनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय और राज्य विधानपालिका में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत समाज व समुदाय के लोगों को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की निर्धारित व्यवस्था की गयी है।

सरकार द्वारा समय-समय पर सकारात्मक नीतियों के तहत जातियों व वर्गों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचाने के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तैयार की जाती है। इन योजनाओं में समाज व समुदायों के निम्न तबके वर्गों व जाति के प्रत्येक व्यक्ति को वरीयता दी जाती है। इस प्रकार से भारत में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियाँ बहुत बड़े पैमाने पर अपनाई गई हैं और वर्तमान समय में निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में भी इसे लागू करने को बहुत बड़े पैमाने पर मांग की जाती रही है।

हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के अतिरिक्त सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के अन्तर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनकी उन्नति के लिए अनेक अधिकारों का प्रावधान किया गया है।

भारतीय राजनीति में आरक्षण : अवसर, अधिकार और सम्मान

भारतीय राजनीति में सकारात्मक नीतियों के तहत जाति व वर्ग को समाज, समुदाय या राज्य की नैतिक जिम्मेदारियों के बजाय सकारात्मक कार्यवाही की नीति के विशुद्ध रूप से राज्य व सरकार को आवश्यक आधार प्रदान करता है।

सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत राजनीतिक बाध्यता का सिद्धान्त राज्य पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वह अपने समाज, समुदाय व राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए उन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएँ। ऐसा नहीं करने से समाज, समुदाय या राज्य के नागरिक भी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मना कर सकते है। वर्तमान समय में नागरिकों को उपलब्ध होने वाले भोजन, वस्त्र और आवास के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को न्यूनतम आवश्यकताओं में गिना जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐतिहासिक रूप से शोषित समुदायों के प्रति ऐसी जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी व्यक्ति को उनके जीवन में समान अवसर उपलब्ध कराने की निर्भरता उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज, समुदाय व राज्य में जातियों व वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक को शिक्षित होना ज्यादा आवश्यक है।

भारत में आरक्षण एक जन्मजात अधिकार के रूप में अभिव्यक्त होने लगा है और आरक्षित जातियों से आने वाले लोग इसे अपना जन्मजात अधिकार मानने लगे है। इस तरह से समाज व समुदाय के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे बड़ा विरोध तो यह देखने को मिलता है कि समाज व समुदाय के लोग इन आरक्षित जातियों से आने वाले लोग इन आरक्षण की किसी भी प्रकार की समीक्षा करने का विरोध करते है। ऐसा करने से सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों संबंधी त्रुटियों को सुधार पाना बड़ा ही मुश्किल साबित होता है। क्योंकि ऐसा सुधार करने से समाज व समुदाय की जिन जातियों के लाभ में ना होता है। तो वे इन सुधार के प्रयासों का विरोध करने लगते है। समाज समुदाय में कई अन्य जातियों को स्वयं को आरक्षित जातियों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य में आरक्षित जातियाँ अनुचित लाभ उठा रही है। राज्य में ऐसी नीतियाँ राजनीतिक दलों को जाति व वर्ग के आधार पर अपनी चुनावी राजनीति को आगे लाने व उसको चमकाने का अवसर प्रदान करती हैं ऐसा करने से समाज व राज्य में जातिगत व वर्ग की पहचान और भी मजबूत होती है। ऐसा करने से ये सम्पूर्ण रूप से वरीयता प्राप्त वर्ग की आरक्षण आधारित सफलता के महत्व को कम कर देती है क्योंकि गैर-वरीयता वर्ग इनकी सफलता को आरक्षण की बैसाखी का परिणाम मानते हैं न इनकी व्यक्तिगत सफलता को जिसके कारण भारत में आरक्षण की व्यवस्था वरीयता वर्गों को सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध करने में असफल साबित हुई है।

भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्यायपालिका के द्वारा भी सकारात्मक कार्यवाही को ज्यादा तार्किक आधार देने का प्रयास किया गया है। एम.आर. बालाजी बनाम् मसूर राज्य वाद 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरक्षण का प्रतिशत किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम् भारत राज्य वाद 1992 में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए क्रीमीलेयर को इससे दूर रखने को कहा गया। भारत में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत अनेक वादों के तहत भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बैकलॉग नियुक्ति, उच्च शिक्षा में आरक्षण आदि को उचित ठहराया गया है। अतः इसी प्रकार से देखा जाए तो

न्यायिक निर्णयों के तहत भारत में सकारात्मक कार्यवाही को वैधता और तार्किकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार से समाज या समुदाय में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत समय-समय पर आवश्यक बदलाव किये जाते रहें जिनकी व्यवस्था भारतीय संविधान के तहत भारतीय राजनीति में भी होते रहे है। जिसके लिए समाज व समुदाय में आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवाज उठाई गई है। भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों जाति व वर्ग के अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज में महिलाओं को भी लम्बे समय से ही शोषण एवं असमानता का शिकार होना पड़ा। लेकिन राज संस्थाओं ने समाज में महिलाओं के साथ भी समानता लाने की दिशा में अनेक प्रयास किये। सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत इनके लिए कठोर कानून और महिला विकास संबंधित नीतियाँ बनाई व उनको क्रियान्वित भी किया गया परन्तु इतना करने के बाद भी समाज में महिलाओं के साथ धर्म, प्रजाति जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव व उनका बहिष्करण लगातार जारी है। भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों का उद्देश्य समाज में किसी अन्य विशेष समूह के अधिकारों को कम करना नहीं है बल्कि समाज में उस वर्ग को समान हक देना है जो समाज में किसी भी तरह से असमानता, शोषण व सुरक्षा से वंचित रहे है ताकि वे भी अतीत के सभी भेदभावों व समकालीन व संरचनात्मक किसी भी तरह की असमानता से उभर कर नए व सम्मानपूर्वक अपने जीवन की शुरूआत कर सकें। इस प्रकार से समाज में जिस वर्ग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है उसकी जरूरतों को समाज में ज्यादा मान्यता दी जाए। भारतीय संविधान की सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में समानता को एक मुख्य आधार माना गया हैं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग व उनके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक को किसी भी कार्यालय अथवा किसी रोजगार में कोई भी नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस प्रकार समाज में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत जाति व वर्ग में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो इसके लिए राज्य में अनेक प्रयास किये जाते रहें है। सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा सामाजिक न्याय का संबंध समाज व समुदाय में वस्तुओं, लाभों, और सम्मान के साम्यपूर्ण के समान वितरण से है, लेकिन जो ये समान वितरण का आधार और तरीका क्या हो इसका विवाद विमर्श विषय रहा है। इस विवाद को कम करने या इस विवाद को हल करने के लिए समय-समय पर अलग-अलग प्रयास किये जाते रहे है।

भारतीय राजनीति में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों के तहत जाति व वर्ग का अध्ययन किया गया है। इससे यह माना जाता है कि इन नीतियों का उन वर्गों पर बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिला है। जिसको सहायता पहुँचाने के लिए यह मुख्य रूप से बनाई जाती है। क्योंकि समाज व समुदाय के लोगों अर्थात् राज्य के लोगों के बीच विभिन्नताएँ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और यह विभिन्नताएँ वर्तमान समय से नहीं बल्कि ये विभिन्नताएँ सदियों से चलती आ रही है। भारत में वर्ग आधारित वरीयतापूर्ण नीतियों के लाभों को प्राप्त करने के लिए गैर-वरीयता वर्गों को स्वयं को वरीयता वर्ग के रूप में शामिल करने का प्रयास करती है। ऐसी नीतियों का अमीर लोग ज्यादा लाभ प्राप्त करते है ये गैर वरीयता वर्गों को अर्थात् गरीब लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

निष्कर्ष

अतः इस प्रकार समग्र रूप में कहा जा सकता कि सकारात्मक कार्यवाही की नीति का त्याग करना या उन्हें छोड़ देना सही नहीं होगा। लेकिन इस सकारात्मक कार्यवाही की नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन सही और वैज्ञानिक साधनों व आँकड़ों से प्राप्त करना वर्तमान में आवश्यकता है ताकि इन सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों का सही तरीके से निर्माण और कार्यान्वयन हो सके। राज्य में योग्यता और वरीयता के बीच में एक संतुलन होना आवश्यक है परन्तु यह योग्यता की कीमत पर नहीं क्योंकि समाज की प्रगति और संसाधनों का विकास ही पुनर्वितरण को संभव बनाता है। इसके लिए समाज व समुदाय में सकल योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है न कि पुनर्वितरण पर। भारत में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों में योग्यता और वरीयता के बीच संतुलन न केवल साम्यपूर्ण है बल्कि सम्मानपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। समाज में सकारात्मक कार्यवाही को आरक्षण के रूप में लाभ पहुँचाया जाता हैं। सकारात्मक कार्यवाही से

समाज में आरक्षण केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही आवंटित किया गया है निजी क्षेत्र में नहीं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भी यह स्पष्ट किया कि सकारात्मक कार्यवाही संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह सकारात्मक कार्यवाही जाति व्यवस्था को कम घातक बना सकती है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते है कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त तभी किया जा सकता है जब वह पूरी तरह से लागू हो गयी हों।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, के.एल., भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृ.सं. 149
2. शुम्पीटर, जे.ए., कैपटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, महंत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1977, पृ.सं. 155
3. सदासिवन, एस.एन., पार्टी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, एशिया पब्लिसिंग हाउस, बाम्बे, 1977, पृ.सं. 59
4. सिंह, एम.पी., संसदीय-संघवादी व्यवस्था में सघात्मकता का बढ़ता प्रभाव, समयांतर, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ.सं. 140
5. यादव, योगेन्द्र एवं सुहास, पलिशीकर, सुरजीत पब्लिकेशन दिल्ली, 2006 पृ.सं. 48-49
6. शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान : एक परिचय, यंग एशिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 22
7. आहूजा, राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2000, पृ.सं. 68
8. घुरिये, जी.एस., कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, पॉपुलर बुक डिपो, बंबई, 1961, पृ.सं. 71
9. थापर, रमेंश, ट्राइब, कास्ट एंड रिलिजन इन इंडिया, मैकमिलन इंडिया, नई दिल्ली, 1977, पृ.सं. 126
10. कुमार, विवेक, दलित समाज : पुरानी समस्याएं नई आकांक्षाएँ, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 88